झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०–8 / ज०सं०(नि०) ग्रा०–08–17 / 2014 .... / राँची, दिनांक–

संकल्प

श्री चन्देश्वर राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पाकुड़ के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम– 43बी० के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4084 दिनांक– 03.08.2015 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 3906 दिनांक– 27.07.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही अलग–अलग संचालित की गई, जिसमें संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा०प्र०से० एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में क्रमशः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया एवं श्री विश्वनाथ तांती, अवर सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची नियुक्त थे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग, राँची के लिए नया विभागीय जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के पश्चात् उक्त दोनों विभागीय संकल्प द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री शेखर कुमार वर्मा, से०नि० झा०प्र०से० को संचालन पदाधिकारी विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 6026 दिनांक– 10.12.2015 एवं संकल्प ज्ञापांक– 6027 दिनांक– 10.12.2015 द्वारा नियुक्त किया गया।

विभागीय पत्रांक– 3706 दिनांक– 20.07.2016 द्वारा उक्त दोनों संकल्पों से संचालित विभागीय कार्यवाही को टैग करने का निर्णय लिए गया जिसमें संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री शेखर कुमार वर्मा एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में केवल प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया को नियुक्त किया गया।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग के लिए श्री शुभेन्द्र झा, से०नि० भा०प्र०से० को विभागीय जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के पश्चात् श्री झा को इस कार्यवाही के लिए संचालन पदाधिकारी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4811 दिनांक– 30.09.2016 द्वारा नियुक्त किया गया।

2. श्री शुभेन्द्र झा, भा०प्र०से०(से०नि०) का कार्यकाल समाप्त हो जाने एवं का०प्रा०सु० तथा राज० विभाग झारखण्ड के पत्रांक– 11393 दिनांक– 14.11.2017 द्वारा श्री ददन चौबे, (सेवानिवृत, झा०प्र०से०) को जल संसाधन विभाग का नया जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के कारण श्री चंदेवश्वर राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री ददन चौबे, (झा०प्र०से०, से०नि०) को संचालित पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त रहेंगे।

4. विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 4084 दिनांक– 03.08.2015 एवं संकल्प ज्ञापांक– 3906 दिनांक– 27.07.2015 की अन्य कंडिकाएँ एवं शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

5. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ ददन चौबे, (झा०प्र०से०, से०नि०) टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक – ..../राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति एवं जाँच संचिका (मूल में) के साथ ददन चौबे, (झा०प्र०से०, से०नि०) टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक – 5411 /राँची, दिनांक– 19-12-17

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया, जिला–पाकुड़/श्री चन्देश्वर राय, से०नि० कार्यपालक अभियंता द्वारा अनुग्रहित प्रसाद साहा, अन्नपूर्णा कॉलोनी, पाकुड़, पो०+जिला–पाकुड़/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.12.17

सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।